

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय /SECRETARIAT

NOTIFICATION

Sri Vijaya Puram, dated the 9th December, 2025

No...../2025:File M-170951(166)/1/2024-T&CP CE-APWD-APWD_AN (e-96180).-

Whereas a proposal for declaration of Great Nicobar Island Development Area consists of seven revenue villages (measuring a total area of 44.23 sq.km (out of which an area of 8.88 sq.km is under Deemed Forest Area)) and **Diverted Forest Area** (measuring 121.87 sq. km) with the total project area of Master Plan for Great Nicobar Island is 166.10 sq km as detailed below has been referred to the Local Authorities within the limits of which the area is located and the Deputy Commissioner, Nicobar District for the views of Gram Panchayats and the Tribal Council respectively within 30 days of such reference, vide Letter No. TP-22/CE/2024/11 dated 01.01.2025. The views received from the local bodies & Tribal Council whose areas have been proposed to be declared as Development Area have been considered.

Whereas, under Sub-Section (2), (3) & (4) of Section -11 of the Andaman & Nicobar Islands Town Country Regulation, 1994 the following shall be notified to be applicable for the Development Area: -

- a) After the publication of this notification no development of land shall be undertaken or carried out in the Development Area by any person or body (including a Department of Government of India or of the Andaman & Nicobar Administration) unless permission for such development has been obtained in writing from the Town Planner in accordance with the provisions of the Regulation.
- b) After coming into operation of Master Plan for Great Nicobar Island, no development shall be undertaken or carried out in the Development Area, unless such development is in accordance with the Master Plan.
- c) Notwithstanding anything contained in (a) & (b) above, development of any land begun by any Department of Government of India or Andaman & Nicobar Administration or any local Authority before the notification may be completed by that Department or local Authority without compliance with the requirements of the above.

Now, therefore, in exercise of the power conferred under Sub-Section-(1) of the Section-11 of the Andaman & Nicobar Islands Town Country Planning Regulation (No.7 of 1994), 1994, the Lieutenant Governor (Administrator), A&N Islands has been pleased to declare the Great Nicobar Island Development Area as **detailed** below consists of **the area lying between the Coastal Boundary and Geo-coordinates of the Diverted Forest area which include** 07 revenue villages falling in the GNI project area for the purpose of preparation of Master Plan for Great Nicobar Island:-

LIST OF REVENUE VILLAGES UNDER GREAT NICOBAR ISLANDS					
1.	Campbell Bay	2.	Govind Nagar	3.	Joginder Nagar
4.	Vijay Nagar	5.	Laxmi Nagar	6.	Gandhi Nagar
7.	Shastri Nagar				

And

DIVERTED FOREST AREA BOUND BY THE FOLLOWING COORDINATES		
Point No	Latitude	Longitude
1	7° 4'39.18"N	93°53'38.22"E
2	7° 4'4.76"N	93°52'24.99"E
3	7° 2'55.43"N	93°51'55.92"E
4	7° 1'48.20"N	93°52'11.10"E
5	7° 0'27.25"N	93°51'52.20"E
6	6°59'57.64"N	93°52'47.76"E
7	6°57'26.05"N	93°52'8.78"E
8	6°54'49.01"N	93°53'5.18"E
9	6°53'33.57"N	93°52'23.47"E
10	6°51'17.21"N	93°52'53.06"E
11	6°51'5.91"N	93°52'34.84"E
12	6°50'12.53"N	93°52'27.50"E
13	6°49'48.94"N	93°51'26.01"E
14	6°49'9.95"N	93°51'54.69"E
15	6°49'9.14"N	93°51'25.47"E
16	6°49'52.55"N	93°50'52.69"E
17	6°51'7.48"N	93°48'55.42"E
18	6°51'6.46"N	93°47'59.50"E

Sd/-
Admiral D K Joshi, PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lt. Governor, A&N Islands

By order and in the name of the Hon'ble Lt. Governor

Joint Secretary (PWD)

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन सचिवालय

अधिसूचना

□□□□ □□□□□ □□□□, दिनांक □□□□□□, 2025

सं...../2025: फाइल एम-170951 (166) /1/2024-टीएंडसीपी सीई-एपीडब्ल्यूडी-एपीडब्ल्यूडी_एएन (ई-96180) .-जबकि ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र की घोषणा के लिए एक प्रस्ताव में सात राजस्व गांव (कुल 44.23 वर्ग किमी क्षेत्रफल (जिसमें से 8.88 वर्ग किमी क्षेत्रफल डीमड वन क्षेत्र के अंतर्गत है)) और परिवर्तित वन क्षेत्र (121.87 वर्ग किमी क्षेत्रफल) शामिल हैं, जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए मास्टर प्लान का कुल परियोजना क्षेत्र 166.10 वर्ग किमी है, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है, को स्थानीय प्राधिकारियों को, जिनकी सीमाओं के भीतर यह क्षेत्र स्थित है, और निकोबार जिले के उपायुक्त को क्रमशः ग्राम पंचायतों और जनजातीय परिषद के विचारों के लिए पत्र संख्या टीपी-22/सीई/2024/11 दिनांक 01.01.2025 के तहत 30 दिनों के भीतर भेजा गया है। जिन स्थानीय निकायों एवं जनजातीय परिषदों के क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है, उनसे प्राप्त विचारों पर विचार किया गया है।

जबकि, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह नगरीय क्षेत्र विनियमन, 1994 की धारा-11 की उपधारा (2), (3) एवं (4) के अंतर्गत विकास क्षेत्र के लिए निम्नलिखित को लागू होने हेतु अधिसूचित किया जाएगा:-

क) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् विकास क्षेत्र में किसी व्यक्ति या निकाय (भारत सरकार या अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के किसी विभाग सहित) द्वारा तब तक भूमि का विकास नहीं किया जाएगा जब तक कि विनियमन के प्रावधानों के अनुसार नगर योजनाकार से ऐसे विकास के लिए लिखित में अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो।

(ख) ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के लिए मास्टर प्लान के लागू होने के बाद, विकास क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा विकास मास्टर प्लान के अनुरूप न हो।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना से पहले भारत सरकार के किसी विभाग या अंडमान एवं निकोबार प्रशासन या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया किसी भी भूमि का विकास कार्य, उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना पूरा किया जा सकता है।

अब, इसलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नगर देश नियोजन विनियमन (1994 की संख्या 7), 1994 की धारा-11 की उप-धारा-(1) के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत, लेफ्टिनेंट गवर्नर (प्रशासक), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र की घोषणा करने की कृपा की है, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसमें तटीय सीमा और डायवर्टेड वन क्षेत्र के भू-निर्देशांक के बीच स्थित क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य से जीएनआई परियोजना क्षेत्र में आने वाले 07 राजस्व गांव शामिल हैं:-

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत राजस्व गांवों की सूची					
1	कैम्पबेल बे	2	गोविंद नगर	3	जोगिंदर नगर
4	विजय नगर	5	लक्ष्मी नगर	6	गांधी नगर
7	शास्त्री नगर				

निम्नलिखित निर्देशांकों से घिरा परिवर्तित वन क्षेत्र		
बिंदु संख्या	अक्षांश	देशांतर
1	7° 4'39.18"N	93°53'38.22"E
2	7° 4'4.76"N	93°52'24.99"E
3	7° 2'55.43"N	93°51'55.92"E
4	7° 1'48.20"N	93°52'11.10"E
5	7° 0'27.25"N	93°51'52.20"E
6	6°59'57.64"N	93°52'47.76"E
7	6°57'26.05"N	93°52'8.78"E
8	6°54'49.01"N	93°53'5.18"E
9	6°53'33.57"N	93°52'23.47"E
10	6°51'17.21"N	93°52'53.06"E
11	6°51'5.91"N	93°52'34.84"E
12	6°50'12.53"N	93°52'27.50"E
13	6°49'48.94"N	93°51'26.01"E
14	6°49'9.95"N	93°51'54.69"E
15	6°49'9.14"N	93°51'25.47"E
16	6°49'52.55"N	93°50'52.69"E
17	6°51'7.48"N	93°48'55.42"E
18	6°51'6.46"N	93°47'59.50"E

हस्ता. / -

एडमिरल डी के जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम
(सेवानिवृत्त)

उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

माननीय उपराज्यपाल के आदेशानुसार एवं उनके नाम से

संयुक्त सचिव (लोक निर्माण विभाग)